Disclaimer

This piece of document has been developed by Centre for Civil Society from the original document received from the concerned department directly or through Right to Information application. This is an attempt to bring crucial documents in public. Centre has been attentive to not to make any error while creating this document. However, Centre is not responsible for any error in the document. User of this document would have the complete responsibility of consequences coming out from use of this document whatsoever it may be. Centre would appreciate people/organization for bringing in its notice any error observed by the user.

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज., जयपुर

क्रमांकः प.8(ग) ( )नियम/स्वाशा/01/3904 दिनांकः 19.04.2003

अध्यक्ष,
दी जयपुर साइकिल रिक्शा
ऑनर्स एसोसियेशन (राज.) जयपुर,
बाबू का टीला, सूरजपोल, रामगंज,
जयपुर।

विषयः– राज. नगर पालिका (रिक्शा चालन)
विनियम, 2003 के प्रारूप के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज. नगर पालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 2003 के प्रारूप का राजपत्र में दिनांक 24.03.2003 को प्रकाशन हो चुका है। उक्त प्रस्तावित विनियम के प्रारूप के सम्बंध में सुझाव, आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त प्रस्तावित विनियम के सम्बंध में आपकों किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा आप सुझाव प्रस्तुत करना चाहते है तो किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

संलग्नः– विनियम 2003 प्रारूप की गजट प्रति।

निदेशक

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	**RAJBIL/2000/1717** **J.P.C./3588/02/2003-05** **RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	चैत्र 3, सोमवार शाके 1925–मार्च 24, 2003 **Chaitra 3, Monday, Saka 1925 – March 24, 2003**	

भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ आदि।
स्वायत शासन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 20, 2003

संख्या एफ.8( ) (नियम) एलएसजी/2001/1875:– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 297–क की उपधारा (3) के अनुसरण में राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 2003 का निम्न प्रारूप जिसे राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 297–क की उप–धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है एवं एतद्द्वारा उससे समस्त संभावित प्रभावित व्यक्तियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है तथा समस्त सम्बंधित व्यक्तियों को नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त विनियम के प्रारूप पर इसके राजस्थान राज–पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह की अवधि के अन्दर कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप पर आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे उक्त अवधि में या उससे पूर्व राज्य सरकार के उप सचिव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को दे सकता है और तत्पश्चात् उस पर विचार किया जावेगा। इसके पश्चात् दिये गये किसी भी आक्षेप या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार:–** (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 2003 है।

   (2) ये राज–पत्र में इसके अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्ति होंगे।

   (3) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगा।

2 **परिभाषाए :– (1)** इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) 'अधिनियम' से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) अभिप्रेत हैं।

(ख) 'अध्यक्ष' से बोर्ड के अध्यक्ष, नगर परिषद् के सभापति तथा नगर निगम के मेयर अभिप्रेत है तथा उसमें बोर्ड के अधिक्रमित होने की अवस्था में उसका प्रशासक या प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है।

(ग) 'अधिशासी अधिकारी' से बोर्ड का अधिशासी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें परिषद्/निगम का आयुक्त सम्मिलित हैं।

(घ) 'अनुज्ञापन प्राधिकारी' से बोर्ड का अधिशासी अधिकारी अभिप्रेत है।

(ड0) 'चालक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपनी जीविका मुख्यतः स्वंय रिक्शा चलाकर उपार्जित करता है।

(च) 'चालक अनुज्ञप्ति' से उस प्रलेख से अभिप्रेत है, जो इन विनियमों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हों जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को रिक्शा चलाने, ठेलने, प्रयोग करने या उपयोग में लाने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।

(छ) 'निदेशक' से निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान अभिप्रेत है।

(ज) 'बोर्ड' से नगरपालिका बोर्ड/परिषद/निगम जैसा कि अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (2), (7क) व (8) में परिभाषित है, अभिप्रेत है तथा

(झ) 'रिक्श' से अधिनियम की धारा 297–क में परिभाषित रिक्शा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्द और अभिव्यक्तियों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई है परन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, के वे ही अर्थ होंगे जो कि उक्त अधिनियम में उनको समनुदेशित किये गये है।

3. **चालक अनुज्ञप्ति आवश्यकः–** **(1)** कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के प्रभाव में आने के पश्चात्, किसी रिक्शे को प्रयोग करने, चलाने या उपयोग में लेने, या निजी उपयोग के लिये अपने पास नहीं रखेगा, न ही अपने स्वामित्वाधीन रखेगा और कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर गलियों व सार्वजनिक स्थानों में न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा और न चलायेगा या उपयोग में लेगा जब तक कि वह इन विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त चालक अनुज्ञप्ति धारण न करता हों।

परन्तु यह ऐसे अनुज्ञप्त रिक्शा चालक जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हो और जिसके लिये अधिकारिता रखने वाले सरकारी चिकित्सक द्वारा इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो एवं उसके पास जीविकोपार्जन हेतु अन्य कोई समुचित साधन नहीं हो या ऐसे मृत चालक, जिसके पास उसकी मृत्यु के समय इन विनियमों के अधीन विधि मान्य रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति थी, की अवयस्क पुत्र/पुत्रियां व उसकी विधवा पत्नी यदि ऐसे मृतक चालक के परिवार के इन सदस्यों के पास जीविकोपार्जन का अन्य कोई समुचित साधन न हो के द्वारा धारित रिक्शाओं के चालन हेतु चालक अनुज्ञप्ति उनके द्वारा मनोनीत ऐसे व्यक्ति को दी जा सकेगी जो विनियम 4 के अधीन खण्ड (i) से (x) में प्रावधित पात्रता रखता हों।

(2) किसी भी रिक्शा चालक द्वारा दो व्यक्तियों से अधिक की सवारी को रिक्शे पर होना /ढेलना तथा भार सीटर रिक्शा चलाना/ढेलना/प्रयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

4. **चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्रताः–** इन विनियमों के अधीन कोई भी चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये पात्र होगा, यदिः–

(i) वह रिक्शा का स्वामी और चालक है, या उसे विनियम 3 के परन्तुक के अधीन मनोनीत किया गया है।

(ii) वह इस नियमों के प्रारम्भ के समय किसी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई लिखित अनुज्ञप्ति धारण करना ही या तो राजस्थान में कहीं भी दिनांक 1 अप्रेल, 2001 से पूर्व रिक्शा चला रहा हो।

(iii) वह 18 वर्ष से कम आयु का ना हो।

(iv) वह किसी भी चिकित्सक का शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण–पत्र रखता हो जिसके अनुसार वह अपंग अथवा विकलांग नहीं हों।

(v) उसके स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति ऐसी हो कि वह रिक्शा चलाने का श्रम व तनाव सहन कर सके।

(vi) वह किसी संक्रामक रोग से पीड़ित न हो।

(vii) उसकी दृष्टि–शक्ति और श्रवण शक्ति संतोषजनक हो।

(viii) वह स्वभावतः अपराधी या शराब पीने वाला न हों।

(ix) उसे नैतिक अपराध के लिये किसी न्यायालय के द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया हो, तथा

(x) उसके द्वारा धारितः–

(क) रिक्शा ठोस व मजबूत बनावट का हो व अच्छी दशा में हो,

(ख) सवारी रिक्शें का हुड वाटर प्रुफ का बना हुआ हो, सवारियों के लिये गद्दों और सीटो का अस्तर नरम चमड़े या रेगजीन का बना हों, किन्तु यह प्रावधान मालवाहक रिक्शे के मामले में लागू नहीं होंगा।

(ग) रिक्शा के आगे के भाग में बत्ती और एक घंटी लगी हुई हो व पीछे की ओर एक लाल प्रतिबिम्बक या लाल बत्ती लगी हुई हो एवं उसके ब्रेक मजबूत व अच्छी चालू हालत में हो, तथा

5. **रिक्शा पर नम्बर प्लेट लगाना :–** चालक अनुज्ञप्ति धारक अपने रिक्शा पर, स्वंय के संदाय पर धातु की उस आकार की प्लेट जैसा कि उसको निर्देश दिया जावें जिसका धरातल काले रंग का होगा पर चालक अनुज्ञप्ति का नम्बर अंकित करेगा।

6. **चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया :–** **(1)** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों के अधीन चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये पात्र है। चालक अनुज्ञप्ति हेतु इन विनियमों के प्रभावशील होने के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में मय स्वंय के दो पासपोर्ट साईज फोटो के आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा और जांच करने के पश्चात् यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा आवश्यक समझे तो विनिश्चय करेगा कि क्या आवेदक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्र है अथवा नहीं।

(3) विनियम 4 के अधीन वर्णित पात्रता के विनिश्चय के प्रयोजनार्थ साधारणतया आवेदक की घोषणा पर विश्वास किया जायेगा, जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों का वर्णन करने के पश्चात् अन्यथा आदेश न दिये जावें एवं ऐसे मामले में चालक की पात्रता की जांच हेतु अनुज्ञापन अधिकारी आवेदक को उसके समक्ष दिये गये समय, तारीख एवं स्थान पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान कर सकेगा और यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उसकी पात्रता से संतुष्ट न हों तो चालक अनुज्ञप्ति हेतु उसका आवेदन रद्द कर दिया जावेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदक की पात्रता से संतुष्ट

है तो आवेदक से निर्धारित फीस जमा करवाकर चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा एवं साथ में धातु का वैज भी प्रदान करेगा जिस पर चालक अनुज्ञप्ति संख्या अंकित होगी।

स्पष्टीकरणः– धातु का बैज पर चालक अनुज्ञप्ति का नम्बर अंकित होगा तथा नम्बर से पूर्व ऐसे सांकेतिक अक्षरों को भी अंकित किया जावेगा जिससे बोर्ड के नाम की पहचान हो सके। उदाहरणार्थ नगर निगम, जयपुर में अनुज्ञप्त चालक क्रमांक 779 के लिये नगर निगम, जयपुर (रि. चा.) 779 अंकित किया जायेगा।

7. अनुज्ञप्ति की शर्ते :– चालक अनुज्ञप्ति धारक निम्न की पालना करेगाः–

(i) चालक अनुज्ञप्ति धारक रात्रि के समय रास्तों और सार्वजनिक स्थानों में रिक्शे पर समुचित स्थान पर आगे की ओर लाईट और पीछे की और लाल रिफ्लेक्टर या लाल लाईट लगाये बिना रिक्शा न तो ठेलेगा और न प्रयोग करेगा या चलायेगा।

(ii) नशे की हालत में न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा या रिक्शा प्रवर्तित करते समय किसी भी प्रकार की अपमानजनक गाली–गलोच वाली और अश्लील भाषा का प्रयोग या अश्लील हाव–भाव का प्रदर्शन नहीं करेगा।

(iii) अपने रिक्शे को सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ या सड़क पर इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा जिससे यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा या असुविधा उत्पन्न हों।

(iv) उचित कारण के बिना रिक्शा भाड़े पर ले चलने से मना नहीं करेगा और न ही भाड़ेदार द्वारा उसे मुक्त किये जाने से पूर्व छोड़कर जायेगा।

(v) अपनी चालक अनुज्ञप्ति का हस्तान्तरण किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा तथा अपने स्वामित्वाधीन रिक्शे को चलाने के लिये अन्य को नहीं देगा।

(vi) राज्य सरकार, बैंक या किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा रिक्शा क्रय हेतु यदि कोई ऋण स्वीकृत किया गया है तो उसकी किश्तों के सामयिक भुगतान में असफल नहीं होगा न किसी देय किश्त को नहीं चढायेगा।

(vii) सम्बन्धित बोर्ड द्वारा प्रत्येक रिक्शा हेतु परिचालन क्षेत्र तय किया जायेगा जो सामान्यतया लगभग पाँच कलोमीटर की परिधि के अन्दर–अन्दर ही रिक्शे का परिचालन करेगा।

(viii) चालक अनुज्ञप्ति अपने पास रखेगा और जब कभी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड के किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा पेश करने को कहा जायें, पेश करेगा।

(ix) चालक अनुज्ञप्ति के साथ प्रदान किया गया बैज अपनी भुजा पर धारण करेगा।

(x) अपना बैज उसकी चालक अनुज्ञप्ति की समाप्ति या निलम्बन या प्रतिसंहारण पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लौटा देगा।

(xi) सम्पूर्ण सावधानी सहित रिक्शा ठेलेगा, प्रयोग करेगा, प्रवर्तित करेगा या चलायेगा और समस्त सड़क नियमों का पालन करेगा। जिन सड़को पर सर्विस लेन है वहां रिक्शा उन्हीं लेन में चलायेगा।

(xii) यातायात विनियम या रिक्शा स्टेण्ड पर रिक्शा नियंत्रण के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी या इसके निमित उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के किसी भी निर्देश की अवज्ञा नहीं करेगा, तथा

(xiii) जब तक कि रिक्शे के टायर, ट्यूब, ब्रेक और रिक्शा के अन्य भाग या रिक्शा चलाने हेतु की गई साईकिल पूर्णतया चालू हालत में न हो, वह न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा।

8. **अनुज्ञप्ति फीस :–** (1) इन विनियमों के अधीन आवेदक का चालक, अनुज्ञप्ति एवं बैज हेतु फीस 50/– रूपये प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

(2) चालक अनुज्ञप्ति या धातु का बैज खो जाने, मूल अनुज्ञप्ति फट जाने या विकृत हो जाने की अवस्था में उसे अनुज्ञा प्राधिकारी को मूल समर्पित करने एवं खो जाने की दशा में इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित फीस के संदाय पर ही डुप्लीकेट प्रति जारी की जावेगीः–

(i) डुप्लीकेट चालक रिक्शा अनुज्ञप्ति के लिये शुल्क रूपये 10/–

(ii) डुप्लीकेट धातु बैज के लिये शुल्क रूपये 10/–

9. **चालक अनुज्ञप्ति की अवधि :–** इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति दिनांक 31.03.2005 तक विधिमान्य होगी।

10. **चालक अनुज्ञप्ति का निलम्बन :–** ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन करने पर या उसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति किसी कपट या दुर्व्यपदेशन के माध्यम से अभिप्राप्त करने का तथ्य प्रमाणित होने पर या राज्य सरकार, बैंक या किसी मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था से ईस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध रिक्शा क्रय हेतु दी गई ऋण की राशि के पेटे देय किसी किश्त या किश्तों की राशि चढ़ी हुई है व इसका भुगतान नहीं किया हैं तो अनुज्ञापन प्राधिकारी सुनवाई करने के पश्चात् चालक अनुज्ञप्ति को विहित कालावधि के लिये निलम्बित कर सकेगा।

11. **चालक अनुज्ञप्ति, बैज और रिक्शा का निरीक्षण :–** वह व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अनुज्ञापक प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जावे, उसके द्वारा निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर रिक्शा तथा चालक अनुज्ञप्ति एवं बैज निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

12. **रिक्शा की संख्या का परिसीमन और उसका क्रमिक उत्पादन :–** (1) राज्य सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो और उसके पूर्वानुमोदन के अध्यधीन बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में अनुज्ञापन प्राधिकारी रिक्शा अनुज्ञप्ति की संख्या परिसीमित कर सकेगा।

(2) किसी भी अधिनियम, नियमों, उपविधियों या विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए 31.03.2005 के पश्चात् कोई भी व्यक्ति नगरपालिका बोर्ड/परिषद/निगम की सीमाओं

के भीतर एवं ऐसे सार्वजनिक स्थानों के भीतर रिक्शा का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं चलायेगा या उपयोग में लेगा।

13. **अपील :–** अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिये गये या पारित किसी आदेश के द्वारा प्रभावित कोई भी व्यक्ति आदेश पारित के 30 दिवस के भीतर बोर्ड या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को अपील कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

14. **अपराध :– (1)** इन विनियमों के अधीन अपराध का प्रसंज्ञान अनुज्ञापन अधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी की शिकायत पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जावेगा।

(2) परंतु ऐसे रिक्शे की दशा में जिसके लिये इन विनियमों के अधीन रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई हो, ऐसे रिक्शे को चलाये जाने की स्थिति में जब्त किया जावेगा तथा ऐसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा जो 500/– रूपये तक हो सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों के अधीन जारी रिक्शा चालक अनुज्ञाप्ति धारित करता है व इन विनियमों का उल्लंघन करता है इसे 50/– रूपये के धारित करता है व इन विनियमों का उल्लंघन करता है उसे 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा या उसकी अनुज्ञप्ति को निलम्बित किया जा सकेगा या जुर्माना या अनुज्ञप्ति का निलम्बन दोनों किया जा सकेगा।

(4) उप–विनियम (2) व (3) में किसी बात के अर्न्तविष्ट होने पर भी, अनुज्ञप्तिधारी यदि इन विनियमों के किन्ही भी उपबंधो को भंग करता है या उल्लंघन करता है तो, उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी या निश्चित् कालावधि के लिये प्रतिसंहारित या निलम्बित की जा सकेगी।

(5) इन विनियमों के अधीन आरोपित जुर्माने की राशि, जप्त किया गया सामान न्यायालय द्वारा सम्बंधित बोर्ड के कोष में आंकलित किया जावेगा/भिजवाया जावेगा।

15. **रिक्शाओं के लिये स्टेण्ड :–** बोर्ड, पुलिस अधीक्षक या निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से परामर्श करके अनुज्ञप्त रिक्शाओं के लिये स्टेण्ड के रूप में समय–समय पर स्थान नियत करेगा और ऐसे स्टेण्डों के सिवाय कोई भी ऐसा रिक्शा प्रतीक्षा नहीं करेगा।

16. **राज्य सरकार या निदेशक की शक्ति :– (1)** राज्य सरकार या निदेशक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किये गये निवेदन पर और ऐसा करने हेतु संतुष्ट होने के पश्चात् इन विनियमों में विहित समयावधि को 180 दिन तक बढ़ा सकेगा।

(2) राज्य सरकार या निदेशक द्वारा ऐसी विशेष परिस्थितियों में जिसके लिये इन विनियमों में प्रावधान नहीं है, किसी चालक के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आदेश दिया जा सकेगा व ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी तद्नुसार अनुपालना कर राजय सरकार अथवा निदेशक को अनुपालना प्रतिवेदन प्रेषित करेगा।

(3) राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग अथवा निदेशक द्वारा इन विनियमों के सम्बंध में उत्पन्न समस्त शंकाओं का समाधान किया जा सकेगा व विनियमों के भली प्रकार क्रियान्वयन एवं सुनिश्चयन के लिये समय–समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड को निर्देश दिये जा सकेंगे। जिसके अनुपालन हेतु अनुज्ञापन अधिकारी अथवा बोर्ड बाध्य होगा।

17. **अपराधों का अभिसंथान (Compound) या समझौता करने की शक्ति :–** इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों का प्रशमन या समझौता बोर्ड द्वारा राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज (कम्पाउण्डिंग एण्ड कम्प्रोमाइजिंग ऑफ आफिसेज) रूल्स, 1966 या तत्समय प्रवृत नियमों के अधीन उसके लिये क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी धन राशि स्वीकार कर किया जा सकेगा जो इन विनियम 8 के अधीन वसूलीय फीस के अलावा 50/– रूपये से अधिक नहीं होगी।

परन्तु ऐसे रिक्शे के सम्बंध में अपराधों का प्रशमन या समझौता नहीं किया जा सकेगा जिसके लिये इन विनियमों के अध्यधीन चालक अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है।

18. **निरसंन एवं व्यावृत्तिः–** राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम 1978 इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् निरसित हो जायेंगे, परन्तु उपर्युक्त निरसित विनियम के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही, जहां तक कि वह इन विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, इन विनियमों के अधीन की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

प्रपत्र–1
(विनिमय 6 देखिये)
बालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन–पत्र

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
नगरपालिका बोर्ड/परिषद/निगम

मैं ..... पुत्र..... . जाति..... आयु ..... निवासी .... नगरपालिका बोर्ड/परिषद/निगम की सीमाओं के भीतर रिक्शा चलाने, ठेलने, प्रयोग करने, प्रवर्तित करने या उपभोग में लेने के लिये चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु, एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ और निम्नानुसार वर्णन करता हूँः–

1. कि मैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) की धारा 297–क और राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 2003 के अन्तर्गत एक चालक हूँ और उक्त विनियमों के प्रारम्भ के समय नगरपालिका बोर्ड/परिषद /निगम .... द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति धारण करता हूँ या राजस्थान में दिनांक 1 अप्रेल, 2001 के पूर्व में रिक्शा चला रहा हूँ।

2. कि मेरा जन्म दिनांक ..... है। आयु .....वर्ष है, जो 18 वर्ष से कम नहीं है।

3. कि मेरे स्वास्थ्य की सामान्य दशा अच्छी है और मैं रिक्शा चलाने (ठेलने) का श्रम और तनाव भली प्रकार सहन कर सकता हूँ। चिकित्सक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

4. कि मैं किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ।

5. कि मेरी दृश्य एवं श्रवण शक्ति पूर्ण संतोषजनक है।

6. कि मैं यातायात नियमों से भली–भांति सुपरिचित हूँ और नगरपालिका बोर्ड/परिषद /निगम ..... की नगरपालिका सीमाओं के भीतर की समस्त सड़कों, रास्तों, गलियों, पर्यटन महत्व के स्थानों और कार्यालयों का मुझें अच्छा ज्ञान है।

7. कि मैं आदतन अपराधी या शराब पीने वाला नहीं हूँ।

8. कि मुझे यन्त्रालित वाहन या रिक्शा के लिये राज्य सरकार, बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा कभी भी व्यक्तिक्रमी घोषित नहीं किया गया है।

9. कि उक्त विनियमों के अधीन मेरी अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और प्रतिसहंरण कभी भी नहीं किया गया है।

10. कि मैं रिक्शे का स्वामी हूँ जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

मैं श्री/कुमारी/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... जो असुविधाग्रस्त अनुज्ञप्त चालक है। श्री ..... मृत अनुज्ञप्त रिक्शा चालक की विधवा पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री है, रिक्शे के स्वामी है, द्वारा मनोनीत चालक हूँ।

अतः मैं निवेदन करता हूँ कि मुझें उक्त विनियमों के अधीन रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाय। मैं उक्त विनियमों और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की समस्त शर्तो और उपबन्धो का अनुपालन करने का एतद्द्वारा वचन देता हूँ और स्वंय को आबद्ध करता हूँ।

दिनांकः .....

आवेदक के हस्ताक्षर
पता .....

नोटः– जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

घोषणा

मैं ..... पुत्र .... जाति..... आयु ..... वर्ष निवासी .... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त पैरा ..... से ..... में वर्णित आवेदन के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सच एवं सही हैं। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

दिनांकः .....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र – II

(विनियम 6 देखिये)

क्रमांकः .....

नगरपालिका/बोर्ड/परिषद/निगम ..... (स्थान)

1. अनुज्ञप्तिधारी का विवरण

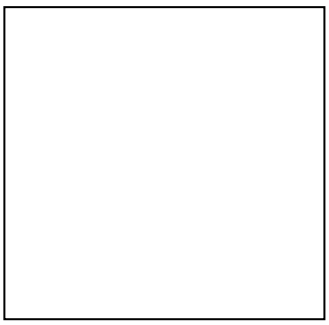

1. नाम

2. पता

3. आयु

4. शिनाख्त का चिह्न

5. बायें हाथ के अंगूठे के निशान सहित हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति धारक का फोटो जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जावेगा।

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पुत्र/पत्नी .....जाति.....आयु..... निवासी ..... जिसका फोटो और विवरण उपर्युक्तानुसार है, को नगरपालिका /बोर्ड / परिषद /निगम .... की सीमाओं के भीतर रिक्शा रजिस्ट्रेशन संख्या ..... चलाने के लिये, एतद्द्वारा, चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है जो दिनांक 31.03.2005 तक विधिमान्य होगा।

दिनांकः .....

अनुज्ञापक प्राधिकारी
नगरपालिका/बोर्ड/परिषद/निगम

स्थानः .....

राज्यपाल की आज्ञा से,
जी.के. तिवारी

उप शासन सचिव